न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—70/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/70)

1. कृष्ण कुमारी पुत्री श्री केशवसेन, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. भैरूनाथ पुत्र श्री घेवरनाथ, जाति नाथ, निवासी नम्बर 858, 18 मुख्य गोकुला फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट फेज चाउदेश्वरी बस स्टेण्ड मथिकेर, बेंगलुरू, उत्तर कर्नाटक 560054।
2. अजयसिंह पुत्र श्री केशवसेन
3. अरूणकुमारी पुत्री श्री केशवसेन
4. घनश्यामसिंह पुत्र श्री केशवसेन
5. चन्दनसेन पुत्र श्री केशवसेन (मृतक) जरिए वारिसानः—
   5/1 कविता कुमारी पत्नि श्री चन्द्रसेन
   5/2 यदुनाथसेन पुत्र श्री चन्द्रसेन
   5/3 चन्दना राठौड पुत्री श्री चन्द्रसेन
6. जयकुमारी पुत्री श्री केशवसेन
7. विजयकुमारी पुत्री श्री केशवसेन
8. श्यामसिंह पुत्र श्री केशवसेन
9. आदित्यसिंह पुत्र श्री गोविन्ददेव
10. श्रीमती कवितादेवी पत्नि श्री गोविन्ददेव
    समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।
11. राजस्थान सरकार जरिए भू—धारक एवं उप—पंजीयक तहसीलदार, मसूदा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा राजस्व वाद संख्या 66/2024 (2024/161).

उपस्थितः—
1. श्री हसन खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जी0एस0 चारण अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 11
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—19.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 66/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र दिनांक 08.04.2024 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए जिसके बाद आगामी पेशी दिनांक 09.05.2024 नियत की गई, दिनांक 09.05.2024 को आगामी पेशी दिनांक 08.08.2024 नियत की गई, दिनांक 08.08.2024 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने पर आगामी पेशी दिनांक 11.9.2024 नियत की गई उक्त तारीख पेशी दिनांक 11.09.2024 को प्रतिवादीगण की एक पक्षीय बहस सुनकर वादी के वाद को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने का आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 66/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना प्रार्थीया को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए वाद को प्राथमिक डिक्री कराने का आदेश प्राप्त कर लिया जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीया को पूर्व में नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2024 की जानकारी प्रार्थीया को सर्वप्रथम दिनांक 08.01.2025 को हुई जब विपक्षी द्वारा मौके पर आकर उनके पक्ष में निर्णय होने बाबत बताया जिस पर प्रार्थीया द्वारा जानकारी की एवं जानकारी होने पर दिनांक 09.01.2025 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 10.01.2025 को नकल प्राप्त की। जहां प्रकरण गुणावगुण पर सृदृढ हो तो वहां पर मियाद का बिंदु कण्डोन किया जाना चाहिए यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है। प्रकरण में प्रार्थीया के विधिक अधिकारों के साथ भारी कुठाराघात हुआ है इस आधार पर मियाद के बिंदु पर नरम रूख बरतते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि बंटवारे के दावे में सभी पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए डिक्री पारित की जानी चाहिए जबकि उक्त दावे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर बिना अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया। उक्त वाद में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 5 की मृत्यु दावा प्रस्तुती के पूर्व ही दिनांक 09.12.2021 को हो गई थी जिसकी वादी को शुरू से ही जानकारी होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया गया तथा मृतक के विरूद्ध वाद प्रारम्भतः ही शून्य व निरस्त किए जाने योग्य है। चूंकि मृतक के खिलाफ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु वाद प्रस्तुत करने के लगभग 3 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, इसके बावजूद सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया है। वाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए एव ंना ही किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत की गई। अतः बिना किसी प्रकार की साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किए पारित डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। वाद में पक्षकारों पर किसी प्रकार की तामीली नहीं करवाई गई, आदेशिका में किसी प्रकार के नोटिस जारी किए जाने बाबत जानकारी अंकित नहीं की गई है तथा सीधे ही रजिस्टर्ड ए0डी0 से तामील मानते हुए प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 66/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2017(2) पेज 1047, 2011 (1) आरआरटी 64, हाई कोर्ट आरआरटी 1207, 2010 (2) आरबीजे 2021 पेज 299, आरआरटी 2018–19 पेज 576, आरआरटी 2016(1) पेज 649 प्रस्तुत किए हैं।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि मौजा खरवा पटवार हल्का प्रथम तहसील मसूदा में खसरा नम्बर 4706/2250

रकबा 2.9407 किस्म बारानी–3 की भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है, तथा अविभाजित भूमि है, जिसमें श्रीमती उमाकान्तदेवी का 1/2 हिस्सा निहित है, तथा उमाकांतदेवी का स्वर्गवास हो चुका है, उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 है। प्रतिवादीगण आए दिन बिना नाप चौप किए व सीमाज्ञान करवाए ही मौके पर आकर वादी को बेदखल करना चाहते है, तथा वादग्रस्त भूमि का आज दिवस तक विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है इस हेतु वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 15.03.2024 को राजस्व रेकार्ड में वर्णित हिस्से के अनुसार सहमति से विभाजन करने का निवेदन किया लेकिन वे इंकार हो गए इसलिए इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे, तथा खर्चा वाद दिलाया जावे, तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद उनके समक्ष दिनांक 08.04.2024 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किए जाने बाबत आदेशिका में अंकित किया गया। प्रकरण दर्ज होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो पेशियां दिनांक 09.05.2024, 08.08.2024 नियत की गई जिसमें पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में होने से पत्रावली को दिनांक 11.09.2024 को नियत किया गया, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट को किसी प्रकार के नोटिस जारी किए जाने बाबत जानकारी अंकित नहीं की गई व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस तामील मानते हुए प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का निस्तारण उसी दिनांक 11.09.2024 को किया गया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय नोटिस तामील की विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी पत्रावली में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि प्रतिवादीगण/अपीलांट को साधारण नोटिस कब जारी हुए व किस किस की तामीली प्रक्रिया साधारण नोटिस से पूर्ण नहीं हो पाई। न्यायिक प्रक्रिया अनुसार सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को साधारण नोटिस जारी किए जाने चाहिए थे, यदि वह अदम तामील प्राप्त होते तो उन्हें रजिस्टर्ड ए0डी0 जारी किए जाने चाहिए थे। फिर उसके उपरांत उन्हें जरिए अखबार साया नाटिस तामील करवाया जाना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामीली की विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना ही प्रकरण में सीधे ही रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी कर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से प्रतिवादीगण/अपीलांट न्याय से वंचित रह गए क्यों कि उन्हें न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बंटवारे के दावे में सभी पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय व डिक्री पारित की जानी चाहिए, परंतु अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का विधिसम्मत अवसर प्रदान ही नहीं किया गया।

उक्त वाद में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 5 की मृत्यु दावा प्रस्तुती के पूर्व ही दिनांक 09.12.2021 को हो गई थी। परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट द्वारा इस तथ्य को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया। मृत व्यक्ति के खिलाफ वाद प्रारम्भतः ही शून्य है। चूंकि मृत व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु वाद प्रस्तुत करने के लगभग 3 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, प्रतिवादी संख्या 5 का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के नोटिस तामील मानते हुए उसके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई।

न्यायिक दृष्टांत 2017(2)आरआरटी 1047 सुप्रीम कोर्ट

Judgment passed against a deed person is without jurisdiction & nullity.

2011(1)आरआरटी 64

order passed against a dead person is void.

2010(2)आरआरटी 1207

suit filed against the dead person rightly dismissed.

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2024 में विधिक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 66/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को विधिवत रूप से नोटिस तामील कराए जाकर प्रकरण में समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर